न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

निरसन वाद सं0–02/2021

आदेश

26.06.2025 आवेदक की हाजिरी है। अभिलेख के अवालेकन से यह विदित होता है कि आवेदक के तरफ से आदेश VI नियम 17 सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 06.02.2025 पर आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का सुना।

अभिलेख के अवलोकन से यह विदित होता है कि विपक्षी संख्या–2 एवं 3 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्रवाई चल रही है तथा विपक्षी संख्या–1 एवं 4 उपस्थित हैं, उन्हें उपरोक्त आवेदन का जवाब देने हेतु दिनांक 27.05.2025 को अंतिम अवसर दिया गया था, परन्तु आज वाद के बार–बार पुकार किए जाने पर उनके तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुए हैं और न ही उपरोक्त आवेदन का कोई प्रत्युत्तर दिया गया है। अतः विपक्षीगण के प्रत्युत्तर का मौका समाप्त करते हुए आवेदन उपरोक्त पर आदेश पारित किया गया।

आवेदन उपरोक्त में उल्लिखित तथ्यों के आलोक में आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि ऊपर्युक्त आवेदक ने प्रोबेट केस संख्या 37/2016 में इस विद्वान न्यायालय द्वारा दिनांक 12.12.2018 के आदेश को निरस्त करने के लिए यह निरसन मामला लाया गया है, जिसमें उक्त आदेश द्वारा नवल शर्मा और अन्य के पक्ष में इस आवेदक की मां उर्मिला देवी, जो अब दिवंगत हो चुकी है, के द्वारा 30.09.2014 को कथित रूप से निष्पादित वसीयत के आधार पर प्रोबेट प्रदान करने की प्रार्थना की गई थी। उनका आगे कथन है कि प्रोबेट के तहत वसीयत उर्मिला देवी द्वारा निष्पादित नहीं की गई थी, बल्कि इस आवेदक के पिता नवल शर्मा द्वारा अपनी दो बेटियों और दामादों के साथ मिलकर की गई जालसाजी का परिणाम है, जो कथित वसीयत के गवाह हैं। उनका आगे कथन है कि विपक्षीगण, जो एकदूसरे के साथ सम्मिलित है, अपने पक्ष में प्रोबेट आदेश प्राप्त करने में सफल हो गए हैं, इस आवेदक की

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

निरसन वाद सं0–02 / 2021

लगातार

26.06.2025

पीठ पीछे उन्होंने प्रोबेट मामले की सूचनाओं को दबा दिया है तथा प्रोबेट मामले की सूचना का प्रकाशन समाचर पत्र 'आज' में किया गया है, जिसका प्रचलन नहीं है। आवेदक को सौभाग्य से 23.04.2019 को विपक्षी पक्ष संख्या–1 से प्रोबेट मामले में पारित आदेश के बारे में पता चला और उसके बाद आवेदक ने जांच की और तत्काल निरसन मामला दाखिल किया गया। विपक्षीगण का आरोप है कि वसीयत 30.09.2014 को उर्मिला देवी द्वारा निष्पादित की गई थी, जबकि तथ्य यह है कि इस आवेदक की मां उर्मिला देवी सांस संबंधी समस्या से पीड़ित थी तथा बिस्तर पर पड़ी रहती थी, वह 28.09.2014 से पीएमसीएच के मेडिसिन एवं कार्डियोलॉजी विभाग के डॉ0 यु0सी0 सामल के उपचाराधीन थी तथा नवम्बर 2014 तक उनके उपचाराधीन रही एवं दिनांक 14.11.2014 को जगदीश मेमोरियल अस्पताल, कंकड़बाग में अंतिम सांस ली, जिसके समर्थन में आवेदक के द्वारा विभिन्न चिकित्सकीय दस्तावेज के साथ पैथोलॉजिकल रिपोर्ट दस्तावेज की सूची के साथ दाखिल किया गया है। अतः आवेदक निरस्तीकरण याचिका में संशोधन हेतु तत्काल याचिका दायर कर रहा है। प्रस्तावित संशोधन अत्यंत औपचारिक प्रकृति का है तथा निरसन याचिका में पहले ही बताए गए तथ्य का स्पष्टीकरण है और संशोधन विवादित मामले को तय करने में सहायक होगा। अतः संशोधन आवेदन स्वीकृति की मांग करते हुए निम्नलिखित संशोधन की मांग की गई है– निरसन याचिका के विद्यमान कंडिका 8 एवं 9 के बीच पैरा 8(ए) के रूप में आवेदक की मां और तथाकथित वसीयतकर्ता उर्मिला देवी को जुलाई 2014 से सांस लेने में समस्या के साथ छाती में संक्रमण हो गया था और वह डॉ0 यु0सी0 सामल के उपचाराधीन थी और उनकी हालत दिन–प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और जगदीश मेमोरियल अस्पताल, कंकड़बाग में भर्ती रहने के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसे में विपक्षियों द्वारा यह कहानी गढ़ी जा रही है कि उर्मिला देवी ने 30.09.2014 को

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

निरसन वाद सं0–02 / 2021

लगातार

26.06.2025

वसीयतनामा तैयार किया था, जो पूरी तरह गलत है और कथित वसीयत उर्मिला देवी की मृत्यु के काफी बाद जाली अंगूठे के निशान के माध्यम से अस्तित्व में लाई गई है, जिसकी पहचान कथित वारिसों में से एक अनीता कुमारी के पति धनेश कुमार द्वारा धोखे से की गई है और कथित वारिस रोजी कुमारी के पति संतोष कुमार ने कथित वसीयत को देखा है, उनका इरादा उर्मिला देवी के इस आवेदक इकलौते बेटे को उसके कानूनी हिस्से से वंचित करना है।

अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह विदित होता है कि प्रस्तावित संशोधन निरसन याचिका के विद्यमान कंडिका 8 एवं 9 के बीच पैरा 8(ए) के रूप में *''आवेदक की मां और तथाकथित वसीयतकर्ता उर्मिला देवी को जुलाई 2014 से सांस लेने में समस्या के साथ छाती में संक्रमण हो गया था और वह डॉ0 यु0सी0 सामल के उपचाराधीन थी और उनकी हालत दिन–प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी और जगदीश मेमोरियल अस्पताल, कंकड़बाग में भर्ती रहने के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। ऐसे में विपक्षियों द्वारा यह कहानी गढ़ी जा रही है कि उर्मिला देवी ने 30.09.2014 को वसीयतनामा तैयार किया था, जो पूरी तरह गलत है और कथित वसीयत उर्मिला देवी की मृत्यु के काफी बाद जाली अंगूठे के निशान के माध्यम से अस्तित्व में लाई गई है, जिसकी पहचान कथित वारिसों में से एक अनीता कुमारी के पति धनेश कुमार द्वारा धोखे से की गई है और कथित वारिस रोजी कुमारी के पति संतोष कुमार ने कथित वसीयत को देखा है, उनका इरादा उर्मिला देवी के इस आवेदक इकलौते बेटे को उसके कानूनी हिस्से से वंचित करना है।''* को जोड़ने से संबंधित है। यह वाद अभी वादपत्र के निर्धारण हेतु ही लंबित है एवं आवेदक के द्वारा इसमें कोई भी साक्ष्य नहीं लाया गया

न्यायालय, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, पटना

निरसन वाद सं0–02 / 2021

लगातार

26.06.2025

है। ऐसी परिस्थिति में प्रस्तावित संशोधन की अनुमति प्रदान किए जाने से न ही वाद का स्वरूप बदलता है एवं न ही विपक्षीगण को कोई विशेष क्षति होती है। विपक्षीगण को उपरोक्त संशोधन के आधार पर साक्ष्य लाने एवं आवेदक साक्षियों को प्रतिपरीक्षण करने का पूर्ण मौका प्राप्त होगा तथा विपक्षीगण चाहें तो अपने उत्तरपत्र में इन संशोधनों के आलोक में संशोधन भी करा सकते हैं। अतः आवेदक के द्वारा प्रस्तावित संशोधनों को न्यायहित में स्वीकार किया जाता है एवं आवेदक को अनुमति दी जाती है कि इस आदेश के 14 दिनांक के अंदर निरसन वाद में वांछित संशोधन करें। वाद दिनांक 15.07.2025 को सुनवाई हेतु।

लेखापित

(संगम सिंह)
अपर जिला न्या0–प्रथम
पटना।